



भारत सरकार
GOVT OF INDIA
केंद्रीय जल आयोग
CENTRAL WATER COMMISSION
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

मध्य गंगा मण्डल - 3 आकाशदीप, पन्नालाल पार्क, वाराणसी

MIDDLE GANGA DIVISION - 3 Akashdeep, Pannalal Park Varanasi

☎(0542) 2282303-304 📠(0542) 2282303 e-mail : eemgd3-cwc@gov.in



जल बचत - जल संघय

पत्रांक :-5/7D/मु०/ मगंम-3/वारा०/ 2019/ 446-49

दिनांक....04/02/2019

कोटेशन आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा संलग्न विवरण के अनुसार मध्य गंगा मंडल-3 वाराणसी के अर्न्तगत इलाहाबाद स्थल का एक नग O.B. Engine (25 H.P.) Make-Johnson, के सामान सहित मरम्मत कार्य हेतु कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक प्रतिष्ठित फर्म अपनी कोटेशन मुहर बन्द लिफाफे में दिनांक 12.02.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक तक जमा करा सकती हैं। कोटेशन उसी दिन पूर्वाह्न 11.30 बजे तक इच्छुक कोटेशनदाताओं या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेगी।

कार्य की सूची एवं विशिष्टियाँ (Specifications) : संलग्न विवरण के अनुसार

नियम एवं शर्त :-

1. कोटेशन संलग्न विवरण के अनुसार फर्म के लेटर पैड पर ही होनी चाहिए।
2. दर के साथ कर तथा अन्य प्रभार आदि यदि कोई हो तो इसका विवरण अलग से दिया जाना चाहिए।
3. सभी कटिंग्स एवं ओवर राइटिंग प्रतिष्ठान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए।
4. कोटेशन में दर्शायी गयी दरें 90 दिन तक लागू होगी इस मुद्दे पर किसी कोटेशनदाता की चुप्पी उसकी इस शर्त से सहमति मानी जायेगी।
5. सभी कार्य विशिष्टियों के अनुसार कार्य आदेश जारी होने के 10 दिनों के अन्दर पूरा करना अनिवार्य होगा।
6. कार्य पूरा होने पर इस कार्यालय में पूर्व प्राप्ति बिल (प्री-रिसिप्टेड बिल) दो प्रतियों में भेजना होगा। बिल में धनराशि अंको तथा शब्दों दोनों में लिखा होना चाहिए। तत्पश्चात भुगतान PFMS द्वारा किया जायेगा।
7. शर्तों के साथ भेजे गये कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
8. कार्य आदेश की मात्रा घटाने या बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
9. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी कोटेशन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं सम्पूर्ण कोटेशन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में उनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
10. फर्म पर्जीकृत होनी चाहिए।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

64/02/19

(एस० पी० सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. लेखानुभाग, मध्य गंगा मण्डल -3, केंद्रीय जल आयोग, वाराणसी।
2. सूचना पट्ट, मध्य गंगा मण्डल-3, केंद्रीय जल आयोग, वाराणसी।
3. केंद्रीय जल आयोग वेब पोर्टल cwc.gov.in
4. CPPP पोर्टल www.eprocure.gov.in /epublish/app

Over Hauling & Repairing of Johnson make O.B. Engine (25 H.P.)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर (रु०)	धनराशि (रु०)
1.	Replacement of Accelerator wire	1No		
2.	Replacement of Relay switch	1No		
3.	Replacement of spark plug	1No		
4.	Replacement of HT Coil	1No		
5.	Replacement of Packing	1No		
6.	Replacement of water pump impeller	1No		
7.	Service Charge	1 Job		
Total				

Date

Name & Signature of the Authorized Signatory